

19.10.2023:—पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता
उपरिस्थित। मुल वादपत्र अदम पैरवी / अदम
हाजरी मे खारिज हो चुका है तो प्रार्थना-पत्र
मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल
वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद
तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डधिकारी
हनुमानगढ

